

Form No. III
फर्द अहकाम
(नियम 26)

जज अदालत सपरखत अधिकारी मुकाम बयाना
सत्यप्रकाश वनाम अधिशापी अधिकारी न.पा. बने
किस्म मुकदमा प्रार्थना पत्र धारा 212 आर टी एक्ट नं सन 190/25

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियन्स जज

तारीख हुक्म	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
-------------	---

07/8/25	प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर हो। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस रजिस्टर्ड / साक्षात् से तलब हो। पत्रावली दिनांक 11.08.2025 को पेश हों।
---------	---

11/8/25	इस प्रार्थना पत्र की अप्रार्थीगण की वकील पत्रावली दिनांक 11.08.2025 को पेश हो। प्रार्थना पत्र दिनांक 14/8/25 को पेश हो।
---------	---

14/8/25	वकील पत्रावली दिनांक 14/8/25 को पेश हो। प्रार्थना पत्र दिनांक 14/8/25 को पेश हो।
---------	--

19/8/25	पीठासीन अधिकारी प्रार्थना पत्र दिनांक 19/8/25 को पेश है। रीडर ओ/एस.डी.एस.
---------	---

26/8/25	वकील पत्रावली दिनांक 26/8/25 को पेश हो। प्रार्थना पत्र दिनांक 26/8/25 को पेश हो।
---------	--

5/12
25

प्रकरण पेश हुआ। प्रकरण में प्रमाणों में बहल वकालत हुई। जा चुकी

बहल वकालत करने के उपरान्त हमारे पत्रावली का अनुलोमन किया। पत्रावली में संलग्न दस्तावेजों का अन्वेषण किया।

अतः पत्रावली का प्रमाण पत्र अस्वीकार निवेद्याज्ञा र-वीकार किया जाता है। अज्ञातगीण मूल को 70 फेंकलू मूल बाद के निर्णय तक अस्वीकार निवेद्याज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि मूल अज्ञातगीण आराजी खसरा नम्बर 715/1 रुका 0-14 हेक्टर रुका अमाना में वादी व शोभनार्य प्रतिवादीगण के उपयोग उपयोग में बाधा उत्पन्न न करें। न ही किसी से करम नाला नदी खोदे न कोई ऐसा काम करे जिससे वादी व शोभनार्य प्रतिवादीगण को उम्ह आराजी के उपयोग-उपयोग में बाधा पैदा हो। मौजे की प्रव्याप्तिके अनुसार शर्तें।

पत्रावली फैसल हुमाद हीनर नम्बर से कम हो बाद-तकमिल-दाखिल-दफ्तर है।

उपखण्ड अधिकारी
बबाना (भरतपुर)